

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 10 जनवरी , 2014

विषय बाढ़ क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करायी गयी बसों के बिलों के भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि से किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3486/1-10-2013-33(90)/12, दिनांक 06-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के बाढ़ क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करायी गयी बसों के बिलों के भुगतान राज्य आपदा मोचक निधि से किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 06.01.2014 द्वारा कुल धनराशि रु0 2,37,636/- (रूपये दो लाख सैंतीस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति की गयी है, जिसमें शब्दों में उल्लिखित धनराशि (रूपये दो लाख तैंतालीस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) त्रुटिवश अंकित हो गयी है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि को रु0 2,37,636/- (रूपये दो लाख सैंतीस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) पढ़ा जाय।

2- उपरिसन्दर्भित शासनादेश संख्या-3486/1-10-2013-33(90)/12, दिनांक 06-01-2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3486(2)/1-10-2013-33(90)/12. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।

- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी शाहजहॉपुर ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से 10/11/17

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।